

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 19, बुधवार, शके 1947- दिसम्बर 10, 2025 Agrahayana 19, Wednesday, Saka 1947- December 10, 2025	

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 08, 2025

संख्या एफ.15(41)पंरावि/विधि/प्रशासक/2025/ई-72044/19261740:- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-95 तथा धारा-101 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा, राज्य की ऐसी समस्त पंचायत समितियां जिनका कार्यकाल दिनांक 11.12.2025 तक समाप्त हो रहा है तथा उनके चुनाव अपरिहार्य कारणों से सम्पन्न नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी समस्त पंचायत समितियों में उस जिले के जिला कलक्टर द्वारा इस प्रयोजनार्थ आदेशित किये जाने वाले उपखण्ड अधिकारी को प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-95 तथा धारा-101 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य की ऐसी समस्त पंचायत समितियों में उपखण्ड अधिकारी को संबंधित पंचायत समिति का कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से प्रशासक नियुक्त करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर को उक्त अधिनियम की धारा-98 के तहत अधिकृत किया जाता है। प्रशासक की कार्यावधि नवनिर्वाचन के पश्चात गठित पंचायत समिति की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दिन तक निर्धारित की जाती है।

आज्ञा से,
डॉ० जोगा राम,
शासन सचिव एवं आयुक्त।